– 4/3/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 522/2018 निर्णय दिनांक :– 4/3/22

उनवानी दावा :

1. भंवर सिंह स्व0 श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. उम्मेद सिंह स्व0 श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. किस्मत कंवर पि0 स्व0 श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. बंदन कंवर बेवा स्व0 श्री जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–अपीलांन्ट–

बनाम

1. ग्राम पंचायत गैरोली, तहसील दूनी पं.स. देवली जिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार साहब दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री प्रेम चन्द जैन
श्री अनिल चौहान
अधिवक्ता अपीलान्ट

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1

<u>अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1331, दिनांक 10.08.2016, ग्राम पंचायत गैरोली</u>

निर्णय/आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स स्व0 जगन्नाथ सिंह के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है। स्व0 जगन्नाथ सिंह की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ख0नं0 1787, 1788, 1789, 1790, 1793, 1794, 1795,

6, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801,1802 कुल किता 14 कुल रकबा 3.84 है0 के ग्राम गैरोली, पटवार क्षेत्र गैरोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवडावास, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, जिसका अंकन जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 में दर्ज है। इसी प्रकार आरजी ख0नं0 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 कुल किता 6 कुल रकबा 1.59 है0 वाके ग्राम गैरोली, पटवार क्षेत्र गैरोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवडावास, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं0– नया 334, पुराना 286, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात में अपीलान्टस के पूर्वज जगन्नाथ पि0मु0पृथ्वीसिंह का 1/9 + 2/45 यानि 7/45 हिस्सा था। जगन्नाथ सिंह की मृत्यु दिनांक 12.02.2016 के बाद उक्त हिस्सा आराजीयात का नामान्तकरण अपीलान्ट्स के नाम अधिनस्थ ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा तस्दीक नहीं कर नामान्तकरण सं0–1331 को अपने आदेश दिनांक 10.08.2016 के जरिये यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि "जगन्नाथ सिंह केशरसिंह के गोद गये हुए है और पृथ्वीसिंह के वारिस उनकी चार पुत्रिया है एवं नामान्तकरण जगन्नाथसिंह पुत्र केशरसिंह एवं जगन्नाथ सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह दोनों नामों से पाया गया एवं पृथ्वीसिंह जी से कोई रिश्ता नहीं पाया गया, अतः यह खारिज किया जाता है।" जिसके विरूद्ध अपीलान्टस की और से यह अपील निम्न कारणों के साथ पेश है :–योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा खारिज किया गया नामान्तरण विधि विधान एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत गैरोली ने नियमानुसार जांच उक्त नामान्तकरण खारिज किया है, जो पूर्णतया गलत है एवं निरस्तनीय है। यह कि अपीलान्ट्स के पूर्वजों का सजरा निम्न है :–

डूंगरसिंह

पृथ्वीसिंह

केसरसिंह

(लाऔलाद–फौत)

जगन्नाथ सिंह गोदपुत्र | शोभागबाई पुत्री | लाडबाई पुत्री | पानबाई पुत्री

भंवरसिंह पुत्र | उम्मेदसिंह पुत्र | किस्मत कंवर पुत्री | बदनकंवर पत्नि

उपरोक्तानुसार डूंगरसिंह जी के दो पुत्र क्रमशः पृथ्वीसिंह व केसरसिंह व तीन पुत्रियां सौभागबाई, लाडबाई, पानबाई हुए, जिसमें से केसरसिंह लाऔलाद फौत हुए तथा पृथ्वीसिंह के कोई पुत्र संतान नहीं होने के कारण उन्होने अपीलान्ट्स के पूर्वज जगन्नाथ सिंह को उसके प्राकृतिक पिता कल्याणसिंह से गोद लेकर गोद का पुत्र बनाया, स्व0 पृथ्वीसिंह की मृत्यु के उपरान्त उनकी पगडी भी उपस्थित समुदाय के समक्ष अपीलान्ट्स के पूर्वज जगन्नाथसिंह के बंधी थी, स्व0 पृथ्वीसिंह के भाई केसरसिंह जी जिनके भी कोई संतान नहीं थी, उनकी पगडी भी स्व0 जगन्नाथ सिंह जी के ही बंधी थी, इसलिए जगन्नाथसिंह की वलदीयत में दो नाम क्रमशः पृथ्वीसिंह एवं केसरसिंह आ रहे है। जिसके अपीलान्ट्स स्व0 जगन्नाथसिंह जी की मृत्यु दिनांक 12.02.2016 को होने के उपरान्त आराजीयात ख0नं0 1787, 1788, 1789, 1790, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801,1802 कुल किता 14 कुल रकबा 3.84 है0एवं भूमि आराजी ख0नं0 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 कुल किता 6 कुल रकबा 1.59 है0 वाके ग्राम गैरोली, पटवार क्षेत्र गैरोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवडावास, तहसील दूनी जिला टोंक

नस्थान में अपीलान्ट्स के पूर्वज जगन्नाथ पि0मु0पृथीसिंह के 1/9 + 2/45 यानि 7/45 हिस्सा के खातेदार, काबिज, काश्तकार थे और आज भी अपीलान्ट्स का उपरोक्तानुसार उक्त भूमि के 7/45 हिस्से पर काबिज, काश्त है, किन्तु उसके उपरान्त भी योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा उनके हिस्से की भूमि का नामान्तकरण उनके नाम तस्दीक नही कर नामान्तकरण को खारिज कर महती कानूनी भूल की है। अपीलान्ट्स ही स्व0 जगन्नाथ सिंह जी के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है, स्व0 जगन्नाथ सिंह अपने जीवनकाल में भी उक्त आराजीयात पर स्वामी, काबिज काश्तकार थे, वह उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्ट्स ही स्वामी काबिज काश्तकार चले आ रहे है, किन्तु उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण को गलत रूप से अस्वीकार किया है। ग्राम पंचायत ने स्व0 जगन्नाथ के उत्तराधिकारियों की नियमानुसार जांच नहीं की और ना ही उत्तराधिकारियों की जांच करने का कोई प्रयास किया और विधि विरूद्ध तरीके से उक्त नामान्तकरण बिना अपीलान्ट्स को कोई साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व अपीलान्ट्स को बिना किसी सूचना दिये, खारिज किया है। उक्त नामान्तकरण को खारिज किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था अथवा कोई नोटिस अथवा सूचना जारी करनी चाहिये थी, किन्तु अपीलान्ट्स को नोटिस जारी किये बिना व को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है, जो अपीलान्ट्स के हितो के प्रति प्रभावहीन व शून्य है अपीलान्ट्स उक्त आराजीयात में अपने पूर्वज जगन्नाथ के हिस्से की आराजीयात पर काबिज, काश्त चले आ रहे है। इस कारण भी उक्त आराजीयात में स्व0 जगन्नाथ के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट्स के हक में स्वीकार योग्य था। अपीलान्ट्स को उक्त खारिज हुए नामान्तकरण की जानकारी पूर्व में नही थी, क्योंकि अपीलान्ट्स आज भी अपने पूर्वज जगन्नाथ के हिस्से की भूमि 7/45

काश्त कर रहे है लेकिन कुछ समय पूर्व अपीलान्ट सं0 1 पंचायत कार्यालय में भूमि के सबंध में जानकारी करने गया हुआ था तब उसको संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि उनके नाम दर्ज नही है, जिस पर अपीलान्ट्स ने उक्त नामान्तकरण से संबंधित नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश किया, नकल दिनांक 10.08. 2018 को प्राप्त होने पर अपील पेश करने हेतु खर्चे का इन्तेजाम कर उक्त अपील आज जानकारी से अन्दर मियाद बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। अपील पेश करने में जानबूझकर कोई चूक नही की है, जो भी चूक हुई है वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। देरी को कण्डोन किये जाने हेतु अपीलान्ट्स पृथक से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश कर रहे है। अन्य कारण बरवक्त बहस पूर्व अनुमति प्राप्त कर निवेदन किये जावेगे। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा पारित नामान्तकरण सं0–1331 दिनांक 10.08.2016 को अपास्त कर आराजीयात ख0नं0 1787, 1788, 1789, 1790, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, कुल किता 14 कुल रकबा 3.84 है0 एवं भूमि आराजी ख0नं0 1700,1701,1702,1703,1704,1705 कुल किता 6 कुल रकबा 1.59 है0 वाके ग्राम गैरोली, पटवार क्षेत्र गैरोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवडावास, तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्व0 जगन्नाथ सिंह के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट्स के हक में तस्दीक कर अपीलान्ट्स के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–अपीलांट्स ने जो सजरा प्रस्तुत किया है उसमें डूंगर सिंह के दो पुत्र बताये है जबकि उनके तीन पुत्र है। जगन्नाथ सिंह को उनके प्राकृतिक पिता

कल्याण सिंह से गोद लेकर पृथ्वी सिंह का गोद पुत्र होने की बात बताई है उपर्युक्त दोनो बाते गलत है। ग्रा0पं0 में नामांतकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र एंव अन्य दस्तावेजो में जगन्नाथ सिंह के पिता केसर सिंह अंकित है। किसी भी दस्तावेज में पृथ्वी सिंह का नाम नहीं है। अपीलांट्स ने केसर सिंह एंव पृथ्वी सिंह दोनो के उतराधिकारी जगन्नाथ सिंह को बताया है। लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज ग्रा0पं0 में प्रस्तुत नही किये गये एंव केसर सिंह, पृथ्वी सिंह के भाई भौम सिंह व उनके पुत्रो को सजरे में शामिल न करके श्रीमान को गुमराह करने का प्रयास किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मामले की सही जांच का आदेश दिया जाये। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सजरा की प्रति ग्रा0पं0 गैरोली द्वारा बनाया गया ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अपील के प्रति उतरदायित्व नहीं होने से उनकी तामिल अथवा जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी व 151 सीपीसी पेश करने पर बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया और नामान्तकरण संख्या 1331 के स्थान पर 1369 अपील में पढा व समझा जाने के आदेश दिये गये।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यो को दोहराया कथन किया कि अपीलान्ट के पूर्वज जगन्नाथ सिंह को पृथ्वी सिंह को समाज के समक्ष गोद लिया था और पृथ्वी सिंह के स्वर्गवास बाद पृथ्वीसिंह की पगड़ी जगन्नाथ सिंह के बंधी थी और स्व. पृथ्वी सिंह के भाई केसर सिंह के लाऔलाद फौत होने से उनकी पगड़ी भी जगन्नाथ सिंह के ही बन्दी थी इसलिए जगन्नाथ सिंह की वल्दियत में दोनो भाईयों के नाम पृथ्वी सिंह एवं केसर सिंह आ रहे है। पृथ्वीसिंह

दि. शेख

की माता व बहिन ने जगन्नाथ सिंह के हक में हक त्याग किया है। जगन्नाथ सिंह की मृत्यु के बाद आराजी ख0नं0 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705 कुल किता 6 कुल रकबा 1.59 है0 में अपीलान्ट के नाम उक्त भूमि के 7/45 हिस्से का नामान्तकरण खोलना चाहिए था परन्तु ग्राम पंचायत गैरोली ने अपीलान्ट के हिस्से का नामान्तकरण तस्दीक न कर नामान्तकरण खारिज कर दिया जो ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा की गई कानूनी भूल है और अपीलान्ट के हितो के विपरीत है। जबकि ग्राम पंचायत गैरोली को पूर्णतया जांच कर नामान्तकरण तस्दीक करना चाहिए परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत गैरोली पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण नामान्तकरण खारिज कर दिया। अतः न्यायालय ग्राम पंचायत गैरोली को नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु आदेशित करनेजिसको वाके ग्राम गैरोली, पटवार क्षेत्र गैरोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवडावास, करे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम गैरोली नामान्तकरण संख्या 1369 में नीचे की ओर लिखा है, प्रस्ताव संख्या 2 अस्वीकार है। जमाबन्दी संम्वत 2073–76 ग्राम ग्राम गैरोली के खाता संख्या 184 में जगन्नाथ सिंह पुत्र पि. मु. पृथ्वीसिंह जगन्नाथ सिंह पुत्र केसर सिंह दर्ज रिकॉर्ड है। रजिस्टर ग्राम पंचायत गैरोली नामान्तकरण संख्या 1369 में ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार नामान्तकरण अस्वीकार किया है जिसको दुरूस्त करने हेतु अपीलान्ट ने अपील पेश की है। अपीलान्टस के अनुसार ग्राम पंचायत गैरोली ने पूर्वाग्रस्त होकर नामान्तकरण खारिज किया है। उक्त बहस, दस्तावेजात से यह तथ्य सामने आते है कि ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा द्वारा भरे गये नामान्तकरण की जांच सही नहीं की गई है। पूछताछ, रिकॉर्ड के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक करना आवश्यक है। अत ग्राम पंचायत गैरोली द्वारा द्वारा

[signature]

तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 1369 दिनांक 10.08.16 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार देवली को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण की विधिक दस्तावेजात के आधार व गांव में वृद्ध मोतबिरान से जांच पड़ताल कर नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली